कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी
Krishi Vigyan Kendra, Bundi
प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

Directorate of Extension Education, Agriculture University, Kota

पो.बॉक्स नं. 04, श्योपुरिया बावड़ी, बून्दी

P.B. 04, Shyopuriya Baori, Bundi

डॉ. हरीश वर्मा
वरिष्ठ वैज्ञानिक
एवं अध्यक्ष

☎ : 7014601475
E-mail : kvkbundi@aukota.org
kvkbundiaukota@gmail.com

क्रमांक : / केवीके / बून्दी / निविदा / 2025 / 177–182

दिनांक :16.06.2025

खुली निविदा सूचना संख्या – 02 / 2025–26

डेयरी इकाई में पशु प्रबन्धन कार्य के लिए श्रमिक आपूर्ति

कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी द्वारा केन्द्र पर स्थित डेयरी फार्म में 15–30 पशुओं (गाय व उनके बछड़े बछड़ियों) के लिए वर्ष 2025–26 (01 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक) के लिए पशु प्रबन्धन कार्य के लिए श्रमिक का कार्य करने हेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित लागत 2.50 लाख रुपये है। निविदा प्रपत्र कृषि विज्ञान केन्द्र पर कार्यालय दिवस में दिनांक 16.06.2025 से उपलब्ध रहेगा जिसे 500 /– रुपये चेक / डीडी द्वारा Programme Coordinator , Krishi Vigyan Kendra, Bundi के नाम जमा करवा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम दिनांक व समय 26.06.2025 को सुबह 11.00 बजे तक रहेगी। निविदा उसी दिन दोपहर 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र एवं शर्तें http://sppp.rajasthan.gov.in तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://aukota.org से डाउनलोड कर भी प्राप्त की जा सकती है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत / प्रेषित है–

1. श्रीमान कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
2. श्रीमान निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
5. नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी (राज0)
(कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)

डेयरी इकाई में पशु प्रबन्धन कार्य के लिए श्रमिक कार्य हेतु निविदा फार्म

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा संख्या–02/2025–26, क्र.सं./के.वी.के/बून्दी/निविदा/2025/177–182 दिनांक 16.06.2025 के सम्बन्ध में सर्व साधारण से वर्ष 2025–26 (1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 या आगामी निविदा होने तक) के लिए पशु प्रबन्धन के लिए श्रमिक का कार्य करने की दरें आमंत्रित की जाती है, जिसकी नियम शर्तें निम्न प्रकार होगी–

1. दुधारू पशुओं का दूध सुबह–शाम 4:30 बजे निकालना होगा। अधिक दूध देने वाले पशुओं को दिन में तीन बार दूहना होगा।
2. पशु आवास को हमेशा साफ रखना होगा।
3. पशुओं को हरा चारा खेत में जुताई–बुवाई पिलाई कर खेत से काटकर लाना होगा और मशीन से कुट्टी कर खिलाना होगा। पशुओं को प्रतिदिन दो घण्टे फार्म पर घूमाकर चराना होगा।
4. पशुओं को पशु आहार के लिए दलिया चक्की से बनाना होगा। पशुओं को प्रतिदिन नहलाना होगा।
5. पशुओं का दूध निकालने के बाद नाप कर ग्राहकों को देना होगा। पशुओं का उत्पादन एवं दूध के खपत लिखनी होगी।
6. पशु आवास के आस–पास, नाली एवं बाड़े में साफ–सफाई रखनी होगी।
7. निविदादाता शिक्षित एवं अनुभवी होना चाहिए। पशु के ब्याने, ग्याभिन होने आदि जानकारी लिखनी होगी।
8. पशुओं का गोबर पशुघर एवं बाड़े से उठाकर प्रभारी द्वारा बताई गई जगह पर डालना होगा।
9. पशुओं के डीवर्मिंग, इंजेक्शन में सहयोग तथा खुर–सींग काटना, खुरहरा इत्यादि कार्य ठेकेदार को नियमित या जरुरत पड़ने पर करनी होगी।
10. बिना अनुमति के स्टाफ या किसी अन्य व्यक्ति को दूध देने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। फार्म से बाहर जाना हो तो प्रभारी से अनुमति लेनी होगी।
11. खल–चूरी, बांटा की चाही गई मात्रा 10–15 दिन पहले बतानी होगी ताकि आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
12. फार्म परिसर व डेयरी इकाई की वस्तुओं, खल–चूरी बांटा का उपयोग बाहर किया जाता है, तो नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
13. पशुओं की देखभाल, दूध निकालना, चारा–पानी, साफ–सफाई आदि प्रतिदिन समय पर करना होगा। जब कभी ठेकेदार को किसी काम से बाहर जाना हो, तो उपरोक्त कार्य की व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी है।
14. फार्म परिसर में नशा–पत्ता करना एवं अवांछित लोगों का प्रवेश सम्पूर्ण रूप से निषेध है। पशुओं की देखभाल रात–दिन करनी होगी। हर समय पशु आवास पर उपस्थित रहना होगा। परन्तु कोई प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना से जोखिम की जिम्मेदारी स्वयं की होगी और कार्यालय अवकाश होने पर आवारा पशु एवं अवांछनीय लोगों के आने–जाने की गतिविधियों की रोकथाम की जवाबदेही होगी।
15. डेयरी प्रभारी द्वारा बताए जाने वाले कार्य भी करने है। कार्य का भुगतान हमेशा 1 माह देरी से होगा। कार्य को बीच में छोड़कर जाने पर 1 माह की राशि जप्त कर ली जावेगी।
16. उक्त कार्य संतोषजनक नहीं रहा, तो ठेका निरस्त किया जा सकता है। बिना कारण बताऐं ठेका निरस्त कर, राशि जप्त करने के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित होगें।
17. कार्यरत व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना व मारपीट आदि की घटना की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र के अन्य कार्य भी करने होगें।
18. कोई भी ठेकेदार अपने नाम हुये ठेके के कार्य को अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है उसे स्वयं उक्त कार्य को करना होगा। ठेकेदार अपना पहचान पत्र एवं पेनकार्ड कार्यालय मे देंवे। भुगतान अकाउन्ट पे चैक द्वारा किया जावेगा।

मुझे उपरोक्त सभी शर्ते मंजूर है मैं वर्ष 2025–26 के लिए पशु प्रबन्धन का कार्य ....रु प्रति माह की दर से करने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर

फर्म/निविदादाता का नाम..

पता...

मोबाईल नंबर ....